न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस

अपील संख्या 43/2023

गुरूदयाल पुत्र झाबरराम जाति जाट, निवासी टोडी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू। —अपीलान्ट—

बनाम

1. बुधराम पुत्र झाबरराम जाति जाट, निवासी टोडी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।
2. बनारसी पुत्री झाबरराम जाति जाट, निवासी टोडी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।
3. मनी देवी पुत्री झाबरराम जाति जाट, निवासी टोडी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।
4. महावीर प्रसाद पुत्र झाबरराम जाति जाट, निवासी टोडी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।
5. रामप्यारी पत्नि झाबरराम जाति जाट, निवासी टोडी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।
6. बिमला देवी पुत्री झाबरराम जाति जाट, निवासी टोडी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।
7. शारदा देवी पुत्री झाबरराम जाति जाट, निवासी टोडी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।
8. सन्तरा देवी पुत्री झाबरराम जाति जाट, निवासी टोडी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।
9. सरोज देवी पुत्री झाबरराम जाति जाट, निवासी टोडी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।
10. बनवारी पुत्र हणमान जाति जाट, निवासी टोडी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।
11. श्योपाल पुत्र हणमान जाति जाट, निवासी टोडी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।
12. कुलदीप उर्फ कुरड़ाराम पुत्र हणमान जाति जाट, निवासी टोडी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट्स—

अपील विरूद्ध विभाजन दिनांकित 23.11.2015 पटवार हल्का दुड़िया तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।

उपस्थितिः—

1. श्री विक्रम ओला (एडवोकेट).....अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री आदितेन्द्र डाबला (एडवोकेट).....रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1,6 व 8 की ओर से।
3. श्री हेतराम (एडवोकेट).....रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3,4,5,7 व 9 की ओर से।
4. श्री राजेश पुनियां (एडवोकेट).....रेस्पोडेन्ट संख्या 10, 11 व 12 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी (राज0 एडवोकेट).....रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:52:35 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलक्टर
झुन्झुनू

–निर्णय– दिनांक : 24.7.2024

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी में विवादित आराजी ग्राम टोडी के खसरा नम्बर 389 रकबा 1.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 390 रकबा 1.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 409 रकबा 2.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 410 रकबा 2.29 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 839 रकबा 0.04 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 7.74 हैक्टर का आपसी सहमति से विभाजन का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.11.2015 से खाता विभाजन के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील मीमों में अपीलान्ट का मुख्य कथन यह है कि आपसी सहमति से विभाजन हेतु तैयार किये गये नक्शे में खसरा नम्बर 390 के मध्य से 9 मीटर चौड़ा रास्ता का अंकन कर इसके खसरा नम्बर 390/3(2232/390) बनाये गये है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 409 में रास्ते का प्रावधान नक्शे में अंकित किया गया था तथा इसके खसरा नम्बर 409/1 बनाये गये थे। पटवारी हल्का द्वारा विभाजन प्रस्ताव में कांट–छांट कर उक्त दोनों रास्तों की भूमि समस्त खातेदारों के हिस्से में दर्ज नही कर रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 12 के खाते मे दर्ज कर दी गई। अंत में अपील स्वीकार कर उपरोक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव में संशोधन कर तदनुसार रिकार्ड में अंकन का निवेदन किया गया है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया है कि विभाजन प्रस्ताव से पूर्व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 9 के हक में दी गई भूमि में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही था। इसीलिए खसरा नम्बर 309/3 को रास्ते के रूप में रखा गया था। किन्तु हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 12 के नाम अंकित कर दी। न्यायिक दृष्टांत 2022 Live Law (SC) 442 पेश कर कथन किया है कि जहां आदेश फ्रॉड एवं दुरभिसंधि से ग्रस्त है वहां अपील पोषणीय है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 10 लगायत 12 द्वारा कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से खाता विभाजन का आदेश है तथा आपसी सहमति के आधार पर जारी आदेश की अपील पोषणीय नही है। इस बाबत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में स्पष्ट विधिक प्रावधान है। जहां तक विभाजन प्रस्ताव में कांट–छांट का प्रश्न है, तो विभाजन प्रस्ताव में कोई कांट–छांट नही की गई है तथा जो संशोधन किये गये है वे समस्त खातेदारों की सहमति से ही किये गये है। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 03 के बिन्दु संख्या 01 में खसरा नम्बर 390 रकबा 1.56 हैक्टर के विभाजन पश्चात शेष बचे मूल खसरा नम्बर 390 के रकबे में संशोधन कर 1.08 हैक्टर के स्थान पर 0.85 हैक्टर किया गया है। संशोधन प्रविष्टि पर [illegible] के लघु हस्ताक्षर किये गये है। पुनः उक्त बिन्दु संख्या 1 में वर्णित खातेदारों [illegible] विभाजन में मिली भूमि का कुल योग 3.54 हैक्टर है तथा कुल योग की प्रविष्टि [illegible] कोई कंटिग नही की गई है। इससे स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव की तथाकथित कंटिग पक्षकारों के समक्ष प्रस्ताव तैयार करते हुए ही हुई है तथा उक्त कंटिग से सहमत होकर ही समस्त पक्षकारों द्वारा सहमति के हस्ताक्षर किये गये है। यदि उक्त कंटिग फ्रॉड या दुरभिसंधि पूर्ण होती तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:52:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

भूमि के कुल योग में भी कंटिग की गई होती। इस प्रकार वकील अपीलान्ट द्वारा विभाजन प्रस्ताव फ्रॉड या दुरभिसंधि पूर्ण होन का किया गया कथन मिथ्या है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 9 को 0.20 हैक्टर भूमि अधिक दी गई है फिर भी किसी बदनियति पूर्वक यह अपील पेश की गई है जो मय हर्जा–खर्चा खारिज योग्य है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **AIR 2006(SC) 2628 & 2018(2) RRT 1485** प्रस्तुत किये गये।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में यह उभयपक्ष की ओर से स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाधीन खाता विभाजन आदेश आपसी सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा पारित किया गया है। वकील अपीलान्ट का यह उज्र है कि विभाजन प्रस्ताव में बाद में कांट–छांट की गई है इस कारण विभाजन प्रस्ताव फ्रॉड है। इस प्रकार प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह है कि विभाजन प्रस्ताव में संशोधन (कटिंग) अपीलान्ट की उपस्थिति में की गई है, या नही। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्ताव दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 3 के बिन्दु संख्या 01 में खसरा नम्बर 390 के रकबे में संशोधन किया गया है किन्तु बिन्दु संख्या 01 में वर्णित भूमि के योग में संशोधन नही है। अतः यह साबित हो जाता है कि उक्त संशोधन प्रस्ताव तैयार करते समय ही किया गया है तथा संशोधन के पश्चात ही सभी सहखातेदारों द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये गये है। इस प्रकार अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव के संशोधन को फ्रॉड एवं दुरभिसंधी पूर्ण नही माना जा सकता है। अतः अधीवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **2022 Live Law (SC) 442** इस प्रकरण में लागु नही होता है।

पुनः जब यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाधीन आदेश आपसी सहमति के आधार पर पारित किया गया है तथा पत्रावली पर विभाजन प्रस्ताव फ्रॉड या दुरभिसंधी पूर्ण नही पाया गया है। इस स्थिति में प्रकरण में आदेश 23 नियम 3 के प्रावधान लागू होते है। न्यायिक दृष्टान्त **AIR 2006(SC) 2628** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि **"Appeal not maintainable against consent decree. Party to approach court which passed consent decree and establish that there was no compromise."** इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त **2018(2) RRT 1485** रूपराम व अन्य बनाम मोहरा देवी व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा व्यवस्था **(Held)** दी गई है, कि **"No appeal is maintainable against the decree passed on compromise."** उक्त दोनों न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागु होते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.7.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:52:35 IST
Reason: SelfAttested

(राम रतन सौंकरिया),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।